



303/1

दूरभाष - 2288709  
2288710

नव घेता-11 केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-228001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
सेवा में,

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	02981000135746	IFSC Code HDFC0000298	180.863

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	मो० जूही परमपुरवा में शान्ती देवी से संराज अहमद होते हुये राजू पाल, पुत्तन हाजी गली, राम भवन यादव से आजाद हसन, भूरी देवी से श्याम लाल, सुलभ शौचालय (सोनी) के घर से आगे तक मेनरोड से गुड़डू तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	22.167
2	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	धर्मन्द्रनगर में राकेश गौतम से नारायण, सरस्वती शिशु मन्दिर गली कलावती से धनश्याम, बब्लू से लालमन होते हुये ओम प्रकाश तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.715
3	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	राम आरंभ नगर में पप्पू मिश्रा से हरी पाल विनोद के घर होते हुये नहर रोड के साइड में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.848
4	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	रांजय नगर में इन्द्रपाल गली, निरंजन से श्रीराम अवतार राजू राम नारायण, चन्द्रिका गली, पप्पू से राम भवन पाल, रामू पाल होते हुये मेहंदी हरान, वीरेन्द्र पाल और राम प्रसाद यादव तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	32.381
5	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	महादेव नगर पार्ट-ए में कमलेश के मकान से बबलू के मकान होते हुये मंगली के मकान तक एवं मंगली के मकान से चिल्ड्रेन स्कूल होते हुये मुन्ना लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.776
	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	महादेव नगर पार्ट-बी में पूरन के मकान से पप्पू चौधरी के मकान होते हुये अशोक पारावान के मकान तक, सुलभ शौचालय से देशराज के मकान होते हुये छंगा पासवान के मकान तक, छंगा पासवान के मकान से राजू पासवान के मकान होते हुये मुन्ना टेलर तक, मोती लाल के मकान से विजय के मकान होते हुये गंगा प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.128



303/2

दूरभाष 2206709  
2206710

नया योजना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	जय प्रकाश नगर पार्ट-ए में राम नारायण यादव के मकान से मेवालाल के मकान तक, रोशन के मकान से विजय बहादुर शर्मा के मकान तक, अजय शुक्ला के मकान से आजाद सोनकर के मकान तक, बब्लू के मकान से संतोष पेन्टर तक एवं सुलभ शौचालय शाबिर से सुधीर के मकान होते हुये अंकिता के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निमाण कार्य।	17.696
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	जय प्रकाश नगर पार्ट बी में मरिजद रो भोला से भगन्त के मकान तक, कालीदीन के मकान से सुभाना के मकान होते हुये राम सकल के मकान तक, सुभाना के मकान से घसीटे के मकान होते हुये कल्लू थारु के मकान तक एवं विनिता सोनकर के मकान से मनीराम के मकान होते हुये छोटे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निमाण कार्य।	11.370
	कानपुर नगर	मलिन वस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	जूहीगढ़ा में प्रमोद अग्रहरि के मकान से वैजनाथ कुशावाहा के मकान तक एवं पंचम यादव के मकान से सुलभ शौचालय तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निमाण कार्य।	17.782
	योग				180.863

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:

- 1- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पञ्चवली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि को सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामुदित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।



303/3

दूरभाष- 2286700

2286710

नव योजना भेन्द्र, 10 अरावली मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 9- उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निर्दिष्ट मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्ररनगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्ररनगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रत्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानक्यों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैराघृति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किरत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(जाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(जाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक